12057/01/2022-प्रशा.(एन.पी.पी.ए.)
भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

तीसरी एवं पाँचवीं मंज़िल
वाई. एम. सी. ए. सांस्कृतिक केंद्र भवन,
1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001

नीलामी की सूचना

सेवा में,

सभी बोलीदाताओं को (GeM के माध्यम से)

विषय: अप्रचलित / अनुपयोगी एवं ई-अपशिष्ट वस्तुओं के निपटान के संबंध में।

अप्रचलित / अनुपयोगी एवं ई-अपशिष्ट वस्तुओं के निपटान हेतु फर्मों से संलग्न प्रोफॉर्मा के अनुसार GeM पोर्टल के माध्यम से **"जैसा है जहाँ है" और "कोई शिकायत नहीं है"** के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं केवल GeM (फॉरवर्ड नीलामी) के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी और GeM के SoP के अनुसार खोली जाएंगी।

2. अप्रचलित / अनुपयोगी वस्तुओं का निरीक्षण दिनांक 26.10.2023 को (अपराहन 2:00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) किया जा सकता है। निरीक्षण के लिए निविदाकार अवर सचिव (प्रशा.) एन पी पी ए, तीसरी एवं पाँचवीं मंज़िल, वाई एम सी ए., सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001 (मो. सं. 9818575598, ई-मेल – kumar.suresh27@nic.in) से संपर्क कर सकते है।

3. संबंधित वस्तुओं के निरीक्षण के बाद निविदाकार अपनी बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते है। सभी प्रासंगिक प्रमाण-पत्र अर्थात फ़र्म का विवरण, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र / सं., पैन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी, इत्यादि द्वारा जारी ई-कचरा प्रमाण-पत्र आदि का सत्यापन GeM के माध्यम से अंतिम एच-1 बोलीदाता के चयन के बाद किया जाएगा।

4. केवल उन्हीं फॉर्मों की बोलियाँ स्वीकार की जाएंगी जिन्होंने बोली प्रस्तुत करने से पहले वस्तुओं का वास्तविक निरीक्षण किया है।

5. बोली के साथ 5000/- रु. की बयाना राशि (ई.एम.डी.) जमा करवाना अनिवार्य है। फॉर्मों को ई.एम.डी. राशि जमा करने की अंतिम तारीख से पहले वेतन एवं लेखा अधिकारी, एन.पी.पी.ए. नई दिल्ली-110001 के पक्ष में जारी राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अपेक्षित होगा।

6. **सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान किए जाने / निविदा स्वीकार करने के पश्चात ई-वेस्ट और अन्य वस्तुएं उठानी होगी बशर्ते उन्होने PAO, NPPA के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से समग्र भुगतान कर दिया है।**

7. यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए निविदा को संपूर्ण अथवा आंशिक तौर पर किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह कार्यालय उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और

बिना कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। किसी भी संबंध में अपर्याप्त अथवा अधूरी बोलियों को या निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने पर बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएंगी। इस संबंध में इस कार्यालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

8. इस मामले से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटान NPPA के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित मध्यस्थ के द्वारा किया जाएगा। यह अनुबंध भारतीय क़ानूनों और दिल्ली स्थित अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

9. इसमें शामिल होने वाले फर्मों के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ई-कचरा प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

संलग्न: यथोपरि

(गिरधारी लाल गुप्ता)
निदेशक

प्रतिलिपि:

एन.आई.सी. को इसे NPPA कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ।